राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ–226027
दूरभाष एवं फैक्स: 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक–2515 /241/NULM/तीन/2001 (SM&ID)-III दिनांक–02/08/2018

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0।

विषय : DAY-NULM के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन्स का गठन सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा आन्तरिक सी0आर0पी0 रणनीति के आधार पर कराने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शहरों/निकायों में स्वयं सहायता समूहों एवं उनके फेडरेशन्स का कार्य वर्तमान मे इम्पैनल्ड सन्दर्भ संस्थाओं एवं सी0डी0एस0 संदर्भ संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि संदर्भ संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट ई–निविदा के साथ ही सरकार/नाबार्ड के साथ कार्य अनुभव वाली संस्थाओं का शहर/जनपद की संस्तुति के आधार पर सीधे इम्पैनल्ड करके कराया जा रहा है, परन्तु पर्याप्त संख्या मे कार्य हेतु इच्छुक अनुभवी संस्थाओं के प्रस्ताव न प्राप्त होने के कारण चयनित सभी शहरों को संदर्भ संस्था की उपलब्धता नहीं करायी जा पा रही है, उक्त के साथ ही पूर्व से कार्यरत कतिपय संस्थाओं के कार्य संतोषजनक नहीं होने के दृष्टिगत भारत सरकार के आफिस मेमोरेण्डम सं0––एफ0एन0के–14012/14/2016–यूपीए/एफटीएस 16320 दिनांक 22.08.2016 के माध्यम से किये गये संशोधन के अनुक्रम में सी0एम0एम0यू0, डूडा को आवश्यकतानुसार सी0आर0पी0 रणनीति पर एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन्स का गठन आदि कार्य का सम्पादन प्रायोगिक तौर पर सीधे कराये जाने का विकल्प भी दिया जाता है। सी0आर0पी0 रणनीति पर कार्य हेतु सामान्य दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस प्रकार जिन जनपदों/शहरों में संदर्भ संस्था इम्पैनल्ड नहीं है वहां पर सी0आर0पी0 रणनीति से कार्य कराया जाये, उक्त के साथ ही जिन शहरों मे इम्पैनल्ड संस्था का कार्य संतोषजनक न हो वहां पर भी सी0आर0पी0 रणनीति से कार्य हेतु प्रस्ताव एवं पूर्व मे कार्यरत संस्था का कार्यादेश मिशन निदेशालय से निरस्त कराकर किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शहरी क्षेत्र में उपरोक्तानुसार एस0एच0जी0 गठन हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि

2-8-2018
(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त सिटी प्रोजेक्ट/परि0 निदेशक आफिसर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा उ0प्र0।
2. परियोजना अधिकारी/सी0एम0एम0, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना, डूडा उ0प्र0।
3. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

2-8-2018
(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

DAY-NULM के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन्स का गठन आदि हेतु सी0एम0एम0यू0 डूडा द्वारा आन्तरिक व्यवस्था के आधार पर सी0आर0पी0 रणनीति पर सीधे कार्य कराये जाने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश।

DAY-NULM के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम सं0–एफ0एन0के–14012/14/2016–यूपीए/एफटीएस 16320 दिनांक 22.08.2016 के माध्यम से किये गये संशोधन के क्लॉज–13 के अन्तर्गत सी0एम0एम0यू0 डूडा को सी0आर0पी0 रणनीति पर एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन्स का गठन आदि कार्य का सुचारू रूप से सम्पादन कर लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिगत कार्यहित में प्रायोगिक तौर पर डूडा के माध्यम से सीधे कराये जाने का विकल्प भी दिया जाता है।

सी0आर0पी0 रणनीति पर सी0एम0एम0यू0 डूडा द्वारा निम्नानुसार आन्तरिक व्यवस्था के आधार पर एस0एच0जी0 गठन का कार्य कराया जायेगा तथा एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन्स का गठन, बचत, आन्तरिक ऋण आदि का एस0एच0जी0/ए0एल0एफ0/ सी0एल0एफ0 वार स्पष्ट विवरण सी0एम0एम0यू0 डूडा द्वारा संरक्षित रखते हुए नियमित अपडेट किया जायेगा।

सी0आर0पी0 –

सामाजिक गतिशीलता हेतु समुदाय के माध्यम से समुदाय को प्रेरित करना एक अच्छी रणनीति है जिसके द्वारा लोगों को सामाजिक ढ़ाचों में आसानी से लाया जा सकता है। समुदाय जब आपसी सीख के माध्यम से अपने शशक्तिकरण हेतु तैयार होकर आगे बढ़ता है तो वह स्थायित्व की तरफ अग्रसर होता है, जिसके दृष्टिगत ही विभिन्न अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि सी0आर0पी0 रणनीति गरीब समुदायों को गतिशील कर समूहों में संगठित करने की सबसे प्रभावी रणनीति है। इस रणनीति के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का गठन आसानी से हो जाता है तथा समूहों के स्थाई संचालन की दिशा भी प्रशस्त होती है।

सी0आर0पी0 की पहचान–

सी0आर0पी0 की पहचान समुदाय स्तर से की जाती है। सी0आर0पी0 चिन्हींकरण के मानक पत्रता की शर्ते निम्नवत हैं :–

- इसमें उन महिलाओं को सम्मिलित किया जाना है, जिनका समूहों की सदस्यता का पर्याप्त अनुभव हो।
- शशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूह एक बेहतर तरीका है के सिद्धान्त पर विश्वास हो।
- स्वयं सहायता समूहों के संचालन का लगभग 1 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें लगभग 50 एस0एच0जी0 की बैठकों में प्रतिभागिता रही हो।
- लीडरशिप के गुण हों।
- सी0आर0पी0 बनने की इच्छुक हो।
- व्यवहार में कुशल एवं संवाद मे दक्ष हो।
- मिशन के सिद्धान्तों में विश्वास हो।
- पंचसूत्र के पालन के प्रति प्रतिबद्धता।
- 20 से 45 वर्ष की आयु।
- सी0आर0पी0 कार्य हेतु समय का होना।
- एस0एच0जी0 में किसी भी प्रकार की डिफाल्टर न हो।

चयन प्रक्रिया –

1. क्षेत्र स्तरीय संघ (ALF)/नगर स्तरीय संघ (CLF) की सहायता से सामुदायिक आयोजक पात्रता मापदण्डों के अनुसार 6 से 7 संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।
2. सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति (CRPs) के लिए योग्य उम्मीदवारों का चिन्हीकरण तीन सदस्यीय समिति ((i) अध्यक्ष, (ii) सचिव, क्षेत्र स्तरीय संघ (ALF)/नगर स्तरीय संघ (CLF) (iii) सामुदायिक आयोजक साथ मिलकर करेंगे।
3. पहचान और चयनित उम्मीदवारों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सभी चर्चा और निर्णय क्षेत्र स्तरीय संघ (ALF) की बैठकों/नगर स्तरीय संघ (CLF) की बैठक में कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
4. चयनित सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति (CRPs) की सूची ए0एल0एफ0 की बैठक की कार्यवाही के साथ सी0एम0एम0यू0, डूडा को अन्तिम चयन हेतु भेजा जायेगा।
5. सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति (CRPs) का चयन शहर को आवंटित एस0एच0जी0 के अनुसार होगी। 50 एस0एच0जी0 गठन हेतु 4 सी0आर0पी0 का चयन किया जायेगा।

उल्लिखित मानकों के अनुसार सी0आर0पी0 की पहचान करते हुए सूचीबद्ध किया जाना है तथा चिन्हित सी0आर0पी0 को सामुदायिक लीडर के रूप में प्रशिक्षित किया जाना है। सी0आर0पी0 का प्रशिक्षण मिशन कार्यकर्ताओं/अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा लीडरशिप विकसित कर गरीब महिलाओं को गतिशील कर स्वयं सहायता समूहों में संगठित किये जाने हेतु क्षमता विकसित की जायेगी। सी0आर0पी0 प्रशिक्षण में सुचारू रूप से संवाद की दक्षता भी विकसित की जायेगी तथा सी0आर0पी0 क्षेत्र में जाकर अपने अनुभवों को अन्य महिलाओं के साथ चर्चा करें उन्हें प्रेरित कर सके। सी0आर0पी0 की पहचान सामुदायिक आयोजक द्वारा ALF के सहयोग से महिलाओं की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर पंचसूत्र के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर किया जायेगा। CRPs पूर्ण कालिक कार्यकर्ता नहीं होगी, परन्तु सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति होगी। CRP द्वारा दी जाने वाली सेवाओं हेतु कार्य आधारित मानदेय दिया जायेगा।

- सी0आर0पी0 की पहचान कर सूचीबद्धता के उपरान्त अवधारणा आधारित अन्तिम चयन सी0एम0एम0/पी0ओ0, डूडा द्वारा किया जायेगा।
- सी0आर0पी0 चिन्हींकरण एवं चयन में निम्न बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा कर चयन किया जायेगा।
- सामुदायिक आयोजक द्वारा सर्व प्रथम सी0आर0पी0 की अवधारणा पर चर्चा कर सम्भावित सी0आर0पी0 को संवेदित किया जायेगा तथा कार्य के सम्बन्ध में स्पष्टता लायी जायेगी।
- ए0एल0एफ0 की खुली बैठकों मे स्क्रीनिंग की जायेगी, जिसमें ए0एल0एफ0 से सम्बद्ध सभी एस0एच0जी0 की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया जायेगी।
- सी0आर0पी0 को मानदेय के रूप में दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर स्पष्टता की जायेगी।
- उक्त प्रस्ताव पर सहमति ए0एल0एफ0 बैठक में प्राप्त की जाय तथा इस सम्बन्ध में लिए जाने वाले निर्णय को ए0एल0एफ0 बैठक की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाना है।
- ए0एल0एफ0 द्वारा उक्त बैठक के कार्यवृत्त को सी0ओ0 के माध्यम से सी0एम0एम0यू0, डूडा को उपलब्ध कराया जाय, जिस पर सी0एम0एम0 द्वारा सत्यापन कर पी0ओ0 के सहयोग से सी0आर0पी0 का अन्तिम रूप से चयन किया जाय।

सी0आर0पी0 प्रशिक्षण–

- चिन्हित सी0आर0पी0 को उनके उत्तरदायित्वों एवं कार्य के सम्बन्ध में विस्तार से सघन प्रशिक्षित करना।
- सी0आर0पी0 से अपेक्षित परिणाम के सम्बन्ध में स्पष्टता।
- पंचसूत्र, गरीबी, संचार एवं लीडरशिप आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।
- प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के अनुसार कराना।
- (CRPs) का आरम्भिक प्रशिक्षण 3 दिवसों मे दिया जायेगा।

आन्तरिक सी0आर0पी0 रणनीति की प्रक्रिया/विधिः

1. एस0एच0जी0 गठन हेतु सी0आर0पी0 रणनीति पर समुदाय आधारित अभिलेखीकरण चिन्हित स्थानीय बुक कीपर्स की मदद से किया जायेगा।
2. भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन के क्रम में सी0एम0एम0यू0 डूडा द्वारा आन्तरिक सी0आर0पी0 की पहचान कर एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन्स का गठन किया जायेगा।
3. सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा वर्तमान में क्रियाशील एस0एच0जी0 की सक्रिय व इच्छुक महिलाओं की उपरोक्त मानकों के अनुसार पहचान, आन्तरिक सी0आर0पी0 के रूप में करना, 50 एस0एच0जी0 गठन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु 4 आन्तरिक सी0आर0पी0 की पहचान की जाये। उक्त चिन्हित 4 आन्तरिक सी0आर0पी0 को सर्व प्रथम अपने-अपने एस0एच0जी0 को सुचारू रूप से चलाते रहने हेतु संवेदित किया जाय साथ ही सी0आर0पी0 के रूप में शहर के अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से अन्य एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन्स का गठन की रणनीति के सम्बन्ध में कई चरणों में संवेदित किया जाये।
4. आन्तरिक सी0आर0पी0 का एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन्स का गठन आदि हेतु सघन प्रशिक्षण सी0एम0एम0यू0 डूडा द्वारा चिन्हित सी0आर0पी0 को प्रारम्भ में एस0एच0जी0 ट्रेनिंग माड्यूल एवं इन्टरनल सी0आर0पी0 माड्यूल पर सघन रूप से प्रशिक्षण किया जाय तथा बाद में बुक कीपर्स माड्यूल आदि पर प्रशिक्षित किया जायेगा। आन्तरिक सी0आर0पी0 को प्रारम्भ में प्रशिक्षित किये जाने का कार्य सी0एम0एम0/सी0ओ0/परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा किया जायेगा साथ ही लीड बैंक मैनेजर एवं यू0पी0एस0आर0एल0एम0 के स्थानीय प्रतिनिधि एवं अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्रशिक्षित किये जाने में ली जायेगी। आन्तरिक सी0आर0पी0 को क्लास रूम में प्रशिक्षण के साथ ही पार्टीसिपेटरी मेथोडोलोजी में विभिन्न विधियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण क्षेत्र में सी0एम0एम0/सी0ओ0/अन्य विशेषज्ञों द्वारा सामूहिक रूप से दिया जायेगा। सी0आर0पी0 का प्रशिक्षण आरम्भ में 3 से 5 दिवसों में किया जायेगा तथा बाद मे निरन्तर प्रशिक्षित किया जाता रहेगा।
5. आन्तरिक सी0आर0पी0 को प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जाता रहेगा तथा सभी प्रशिक्षण का अभिलेखीकरण करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित माड्यूल्स पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
6. एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन्स के गठन हेतु सी0आर0पी0 द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का विवरण :-
   - सम्बन्धों की स्थापना (Rapport Building) हेतु क्षेत्र का सघन भ्रमण।
   - क्षेत्र भ्रमण के समय क्षेत्र विशेष की समस्याओं के प्रति समझदारी विकसित करना।
   - लक्ष्ति समूहों/समुदायों की पहचान करना।
   - लक्षित समूहों/समुदायों से सघन अन्तःक्रिया करना।
   - गरीबी के विभिन्न आयामों पर चर्चा।
   - गरीबी निवारण हेतु समूह के महत्व पर चर्चा।
   - समूहों के माध्यम से सशक्तीकरण पर चर्चा।

- समूहों के माध्यम से आसान किश्तों मे सबसे सस्ता ऋण प्राप्त करने के तरीके पर चर्चा।
- समूहों के माध्यम से आय सृजनात्मक कार्यो के सम्पादन पर चर्चा।
- समूह के माध्यम से मनी लैंडर्स से अपवंचित समूहों को अवमुक्त कराने की रणनीति पर चर्चा।
- वृहद सामुदायिक गतिशीलता।

7. क्षेत्र विशेष में एस0एच0जी0 गठन हेतु 10 दिवसीय सी0आर0पी0 अभियान का संचालन।
   1. (Rapport Building) सम्बन्धों की स्थापना (Rapport Building) – 3 दिन।
   2. लक्षित समूह चर्चा – (Focus Group Discussion FGD) – 2 दिन।
   3. सोशल मोबिलाइजेशन्स फार एस0एच0जी0 फारमेशन – स्वयं सहायता समूह गठन हेतु सामाजिक गतिशीलता – 5 दिन
   (उक्त अन्तःक्रिया विभिन्न चरणों में की जा सकती है तथा उक्त ड्राइव प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर ही की जानी है जिससे लगभग –10 से 12 एस0एच0जी0 का गठन सम्भव होगा)

8. मदवार सांकेतिक व्यय विवरण (Indicative Expenditure Details)–
(04 सी0आर0पी0 के माध्यम से 12 एस0एच0जी0)

क्र.सं.	विवरण	12 SHG	50 SHG
1	आन्तरिक सी0आर0पी0 का प्रशिक्षण व्यय (प्रशिक्षण व्यय में पेन, फोल्डर गाइडलाइन की फोटो कापी दिशा निर्देश की फोटोकापी तथा सी0आर0पी0 के जलपान पर (पेन, फोल्डर रू0 30/–, जलपान रू0 50/– प्रतिदिन, फोटो स्टेट रू0 25/–एवं रू0 25/–अन्य विविध व्यय प्रति सी0आर0पी0) आदि	रू0 1120.00	4666.50
2	सामाजिक गतिशीलता हेतु बैनर, फोटोग्राफी	रू0 500.00	2083.33
3	10 दिन सी0आर0पी0 ड्राइव हेतु सी0आर0पी0 को मानदेय रू0 250/प्रति सी0आर0पी0/दिन 250X4X10 (उक्त भुगतान सी0आर0पी0 ड्राइव के उपरान्त 10 से 12 एस0एच0जी0 के बैंकों में खाते खुलने के उपरान्त ही दिये जायेंगे)	रू0 10,000.00	41666.66
4	स्टेशनरी का प्रकाशन (रजिस्टर छपवाना आदि) रू0 750/– प्रति एस0एच0जी0 अधिकतम रू0 750X12	रू0 9,000.00	37500.00
5	एस0एच0जी0 प्रशिक्षण रू0 110/– प्रति सदस्य 110X120	रू0 13200.00	55000.00
6	बुक कीपर्स ट्रेनिंग	रू0 1000.00	4166.66
7	ए0एल0एफ0/सी0एल0एफ0 गठन/एफ0एल0सी0 कास्ट	रू0 1000.00	4166.66
8	एस0एच0जी0 साप्ताहिक मीटिंग कास्ट आफ सी0आर0पी0 मानदेय रू0 50/– प्रति मीटिंग/एस0एच0जी0 फार हैण्ड होल्डिंग सर्पोट उक्त कास्ट बैंक अकाउन्ट खुलने के बाद की बैठकों	रू0 60,000.00	250000.00

	हेतु चेक के माध्यम से अथवा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही दी जायेगी। 100 बैठक दो वर्षो में रू0 50X100X12		
9	अन्य विविध व्यय सुपरविजन कास्ट	रू0 24180.00	100750.00
	योग–	**1,20,000.00**	**4,99,999.81**

नोट :– एस0एच0जी0 मीटिंग का व्यय सी0आर0पी0 को त्रैमासिक आधार पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा तथा भुगतान से पूर्व सी0ओ0/सी0एम0एम0 द्वारा उनके कार्यो का सत्यापन किया जायेगा। सुपर विजन कास्ट की धनराशि से स्वयं सहायता समूहों की देख–रेख हेतु किसी भी स्थानीय समुदाय/एस0एच0जी0 की सदस्यों में से किसी भिज्ञ एवं अनुभवी समूह सदस्य को आउट सोर्स के आधार पर स्थानीय आवश्यकतानुसार रखा जा सकता है। उक्त व्यय के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों हेतु अलग–अलग सी0आर0पी0 के समूहों की पहचान कर एस0एच0जी0 का गठन कराया जा सकता है।

उक्त मदवार व्यय विवरण सांकेतिक है विशेष परिस्थितियों में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न मदों में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु एक एस0एच0जी0 गठन एवं उनके 02 वर्षो तक हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट आदि कार्यो हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,000.00 (दस हजार मात्र) ही होगी। इसमें किसी भी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा।

सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) के कार्य एवं उत्तरदायित्व :–

सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति (CRPs) समुदाय की सहायता, समूह सदस्यों को प्रशिक्षण शिक्षा, संस्थागत निर्माण, रिकार्ड कीपिंग/अभिलेखीकरण, ग्रेडिंग, लेखा परीक्षा, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, समुदायिक स्वच्छता, परिवार परामर्श के रूप में स्वयं सहायता समूह (SHG), क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALF) और नगर स्तरीय संगठन (CLF) जैसे सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगी। सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति (CRPs) की प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नवत् होगी :–

- नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करना तथा मौजूदा स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाना।
- सदस्यों को जागरूक करना और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचसूत्र का पालन करने के लिए स्वयं सहायता समूह की सहायता करना।
- स्वयं सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज संबंधी दस्तावेज तैयार करना एवं बैंक लिंकेज कराने में सहयोग करना।
- सामुदायिक आयोजक (COs) और संसाधन संगठनों (ROs) के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह की प्रोफाइलिंग, ग्रेडिंग और सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करना।
- स्वयं सहायता समूहों के बीच मतभेद को दूर करना।
- क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALF) और नगर स्तरीय संगठन (CLF) सदस्यों के प्रशिक्षित कर उनकी जानकारी में बढ़ोतरी करने मे सहयोग।
- स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र/नगर स्तरीय संगठन (CLF) के बही खाता का रख–रखाव और कार्यवाही लिखने/लिखाने का कार्य करना।
- सामाजिक मुद्दों पर सदस्य को जागरूक करना।
- सवयं सहायता समूह का हैण्डहोल्डिंग सहयोग करना।
- सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों (CRPs) को सामुदायिक उत्प्रेरक या सामुदायिक सहायताकर्ता या प्रशिक्षक के रूप में भी कार्यो का सम्पादन किया जायेगा।